मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः07.11.2025

थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 50 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में 02 अदद चार पहिया वाहन के साथ 02 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में "नितेश सिंह" अपर पुलिस अधीक्षक नगर व "विवेक जावला" क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 07.11.2025 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर 02 चार पहिया वाहन संख्याः MP 17 CD 2261 व MP 17 ZF 4401 में सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1. जितेन्द्र साकेत उर्फ जीतू पुत्र रघुनाथ साकेत निवासी बहेरी थाना मऊगंज जनपद मऊगंज, मध्य प्रदेश व 2. संदीप साकेत उर्फ भानू पुत्र ददन प्रसाद निवासी ढेरा थाना मऊगंज जनपद मऊगंज, मध्य प्रदेश बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों बोलेरो की तलाशी ली गयी तो दोनों बोलेरो में छिपाकर रखा हुआ कुल 100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-396/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त उक्त दोनो बोलेरो वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे अन्य प्रदेश से बोलेरो वाहनों में छिपाकर गांजा लादकर मीरजापुर व आसपास के जनपदों में स्पलाई के लिये ले जा रहे थे, इस दौरान पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। गांजा बेच कर प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. जितेन्द्र साकेत उर्फ जीतू पुत्र रघुनाथ साकेत निवासी बहेरी थाना मऊगंज जनपद मऊगंज, मध्य प्रदेश, उम्र 30 वर्ष
2. संदीप साकेत उर्फ भानू पुत्र ददन प्रसाद निवासी ढेरा थाना मऊगंज जनपद मऊगंज, मध्य प्रदेश, उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

100 किलो ग्राम अवैध गांजा (अंतराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹ 50 लाख)

गांजा परिवहन में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन संख्याः MP 17 CD 2261 (बोलेरो) व MP 17 ZF 4401(फ्रौंस)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-396/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत ओझला पुल दुधनाथ तिराहे के पास से, दिनांकः 07.11.2025 को समय 05.48 बजे

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पाण्डेय मय पुलिस टीम थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

****